in the Indian Exclusive Economic Zone which are found fishing without any valid licence/permit. During the period 1st April, 1991 to 31st March, 1992, 36 foreign fishing vessels were apprehended by the Coast Guards.

**Residential Flats to Freedom Fighters in Delhi**

2046. SHRI DEBABRATA BISWAS : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the pending cases for allotment of residential flats to freedom fighters in Delhi have since been cleared;

(b) if not, the reasons for the delay;

(c) whether there is any query with Urban Development Ministry in this matter; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) :

(a) All freedom fighters fulfilling the eligibility conditions and recommended for allotment of residential flats have since been provided such accommodation in Delhi.

(b) Does not arise.
(c) No, Sir.
(d) Does not arise.

**जनगणना कार्य (1971) पर लगाए गए व्यक्तियों के लिए नौकरियों की व्यवस्था**

2047. डा. बापू कालदाते :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1971 और 1981 में सम्पन्न हुई जनगणना के कार्य में लगाये गये अस्थायी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान कर स्थायी सरकारी नौकरियां दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1991 में सम्पन्न हुई जनगणना के कार्य में लगाये गये अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में कोई वरीयता देने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) 1971 की जनगणना की भांति 1981 की जनगणना में भी अस्थायी जनगणना कार्यालयों में समेकित वेतन पर रखे गए कर्मचारियों को रोजगार कार्यालयों द्वारा उनका नाम भेजते समय प्राथमिकता दी गई थी तथा उन्हें सरकार द्वारा आयु में छूट का लाभ भी दिया गया था । 1991 की जनगणना में संविदा पर नियुक्त उन कर्मचारियों को इसी प्रकार की रियायतें सरकार द्वारा दी गई हैं जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं अथवा समाप्त कर दी जाएंगी ।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है; (नीचे देखिए)

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**विवरण**

**1991 की जनगणना के छंटनीशुदा कर्मचारियों को दी गई रियायतें/छूटें**

(1) जो व्यक्ति आरंभ में रोजगार कार्यालयों या अन्य अनुज्ञेय चैनलों के माध्यम से भर्ती किए गए थे और स्थापना में कमी किए जाने के कारण छंटनी से पहले न्यूनतम छः माह की अविच्छिन्न सेवा कर चुके हैं, वे 1993 के अंत तक कर्मचारी चयन आयोग और रेल सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा/परीक्षाओं में बैठने के पात्र होंगे । ये रियायतें केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध

होंगी जो जनगणना संगठन में उनकी प्रारंभिक भर्ती के समय कर्मचारी चयन आयोग/रेल सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में बैठने के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा के अन्तर्गत आते थे और यदि वे सुसंगत भर्ती नियमों में निर्धारित की गई भर्ती अर्हताओं को अन्यथा पूरा करते थे ।

(2) जो छंटनीशुदा जनगणना कर्मचारी आरंभ में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए थे और न्यूनतम छः माह की अविच्छिन्न सेवा कर चुके हैं, वे विभिन्न भर्ती प्राधिकारियों द्वारा विज्ञप्त रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए संबंधित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रायोजित किए बिना ही आवेदन करने के पात्र होंगे चाहे उन्होंने उच्च प्राथमिकता (प्राथमिका-3) की रियायत का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए अपने आपको रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर ही न कराया हो ।

(3) जो व्यक्ति आरम्भ में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए थे और छंटनी से पहले न्यूनतम छः माह की अविच्छिन्न सेवा कर चुके हैं, उनके बारे में रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्रायोजित किए जाने की आवश्यकता के बिना ही जनगणना संगठन में जून, 1993 के अंत तक होने वाली समूह "ग" के पदों की रिक्तियों में एडजार्ब करने पर विचार किया जा सकता है । इस प्रकार का विलयन तभी अनुज्ञेय होगा जब पद ऐसा नहीं है जिस पर कर्मचारी चयन आयोग/रेल सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है और बशर्ते कि वे भर्ती नियमों में विहित अर्हताओं इत्यादि को पूरा करते हों तथा पद उसी ग्रेड का हो जिसमें छंटनीशुदा जनगणना कर्मचारी की रोजगार कार्यालय के माध्यम से आरंभ में भर्ती की गई थी ।

(4) जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम छः माह की सेवा की है और स्थापना में कमी होने के कारण जिनकी छंटनी कर दी गई है, वे भारत सरकार के सामान्य आदेशों के अधीन, की गई सेवा की अवधि क्षमा 3 वर्ष की आयु छूट के पात्र होंगे ।

**Age of Retirement of Para-Military Personnel**

2048. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise the age of retirement of officers and sepoys of para-military forces especially, CRPF from 55 to 58 years; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Impact of Operation Rhino on ULFA Insurgency**

2049. SHRI DEBABRATA BISWAS : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have since evaluated the impact of the "operation Rhino" by the army in Assam to combat the ULFA insurgencies; and

(b) what further steps Government propose to take to neutralize the ULFA activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) :

(a) and (b) Operation Rhino was launched in Assam on September 15, 1991. As a result of operation Rhino, there was disarray in rank and file of ULFA leading to a split. One group of ULFA has expressed their willingness for negotiations. There is another group which is opposed to talks. In order to checkmate activities of the antitalk group of ULFA, army is still deployed in the State.